



महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

Email:covidproc.jd.uk@gmail.com, dghealth.uttarakhand@gmail.com, Tel:0135-2608736/63, Fax:-0135-2608746

पत्रांक-21प/सा0/कोविड सेल/विविध/15/2021 10075

दिनांक 13 मई, 2021

सेवा में,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तराखण्ड
2. समस्त प्रमुख/मुख्यचिकित्सा अधीक्षक/
चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
उत्तराखण्ड।

विषय- RTPCR/Home collection आर0टी0पी0सी0आर टेस्ट की सेवाओं की दरों के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-476/XXVIII-1/21-01(6)/2020TC02 दिनांक 08 मई, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, (छायाप्रति संलग्न) जिसके द्वारा निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की RTPCR//Home collection आर0टी0पी0सी0आर टेस्ट की सेवाओं की दरों का पुर्ननिर्धारण किया गया है। निजी प्रयोगशालाओं द्वारा उक्त जांच हेतु निर्धारित दरों से अधिक धनराशि लिया जाना महामारी अधिनियम 1897(यथा संशोधित) एवं उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के संगत प्राविधानों का उल्लंघन माना जायेगा।

अतः उपरोक्त शासनादेश की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित कि पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न-यथोपरि।


निदेशक

चिकित्सा स्वास्थ्य /


नोडल अधिकारी कोविड-19
स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखण्ड।

तददिनांकित।

पत्रांक-21प/सा0/कोविड सेल/विविध/15/2021

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-476/XXVIII-1/21-01(6)/2020TC02 दिनांक 08 मई, 2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल को उपरोक्त आशय से की आप उक्त निर्देशों का अनुपाल कराने का कष्ट करें।।


निदेशक

चिकित्सा स्वास्थ्य /

नोडल अधिकारी कोविड-19
स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखण्ड।

Dr(Mu)/Dr(Sr)

डा०पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

4
महानिदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 08 मई, 2021

विषय: **RTPCR/Home Collection आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट की सेवाओं की दरों के पुनर्निर्धारण के सम्बंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पी0ए0-डी0जी0एम0एच0/2021/317 दिनांक 06 मई, 2021 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के शासनादेश संख्या-87/XXVIII-1/21-01(06)/2020, दिनांक 20 जनवरी, 2021 जिसके द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की आर0टी0पी0सी0आर0 जाँच हेतु कमरा: ₹0 400/- एवं ₹0 500/- दरें निर्धारित की गई है; को अतिक्रमिit करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निजी क्षेत्रों की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की आर0टी0पी0सी0आर0 जाँच हेतु अधिकतम दर निम्नवत् निर्धारित की जाती है-

निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की जाँच हेतु अधिकतम धनराशि	
निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को प्रेषित सैम्पल की जाँच की दर अथवा किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोगशाला पर जाकर कोविड-19 की जाँच कराने पर दर	₹0 700/- (सात सौ रुपये मात्र) जी0एस0टी0सहित।
निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड सम्भावित व्यक्तियों के निवास स्थल जाकर स्वयं आर0टी0पी0सी0आर0 सैम्पल एकत्र कर जाँच हेतु लिये जाने की दर (Home Collection)	₹0 700+₹0 200= ₹0 900/- (नौ सौ रुपये मात्र) जी0एस0टी0सहित।
राज्य सरकार द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को सरकारी चिकित्सालय से सैम्पल प्रेषित कराए जाने पर दर	₹0 400/- (चार सौ रुपये मात्र) जी0एस0टी0सहित।

2- निजी प्रयोगशालाओं को सभी रिपोर्ट सी0टी0 वैल्यू के अंकन के साथ उपलब्ध करानी होगी। गुणवत्ता आडिट हेतु मांगे जाने पर नमूनों को चिकित्सा महाविद्यालय की रेफरल प्रयोगशालाओं हेतु उपलब्ध कराना होगा। परीक्षण के पश्चात् आई0सी0एम0आर0 के पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करने के अतिरिक्त संबंधित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्टेट सर्विलान्स अधिकारी को रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

3- निजी प्रयोगशालाओं द्वारा उक्त जांच हेतु उक्त निर्धारित दरों से अधिक धनराशि लिया जाना एवं अन्य उल्लिखित प्राविधानों का पालन न करना महामारी अधिनियम 1897 (यथा संशोधित) एवं उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के संगत प्राविधानों का उल्लंघन माना जाएगा। उक्त के अतिरिक्त निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में भारत सरकार/राज्य सरकार/आई0सी0एम0आर0 द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों/आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)

सचिव।

संख्या: (1)/XXVIII-1/21-01(06)2020 टी0सी02, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
8. इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)

अपर सचिव।